

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDA

New Delhi, the 13th October, 2015

(Income-tax)

S.O. (E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, number S.O. 2752(E), dated the 22nd October, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd October, 2014, in Schedule-I,—

(I) against serial number 13, in column (4), in item (b), after sub-item (xxx), insert “(xxxi) Samta”;

(II) against serial number 18,—

(a) in column (5),—

(i) in items (a), (b) and (c), for “(a), (b), and (c)”, read “(a) and (b)” respectively;

(ii) after item (d), insert—

“(e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in item (c) of column (4)”;

(b) in column (6), after item (b), insert—

“(c) all cases of persons referred to in corresponding item (e) of column (5) whose principal source of income is ‘salary’”;

(III) against serial number 19, in column (4), in item (a), for “8”, read “18”;

(IV) against serial number 24, in column (4), in item (b), after sub-item “18. 562122”, insert “19. 562106”;

(V) against serial number 26, in column (4), in item (b), after sub-item “46. 562163”, insert “41. 562123”.

[Notification No. 79/2015, F.No.187/38/2014 (ITA.I)]

DEEPSHIKHA SHARMA
Director to the Government of India

To
The Manager
Government of India Press
Ring Road, Mayapuri Industrial Area (Near Rajouri Garden),
New Delhi – 110 064.

Place
15/10/15

Release

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

(आयकर)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर, 2015

का.आ. (अ) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं.का.आ.2752 (अ), दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 अनुसूची-I में,-

- (I) क्रम संख्या 13 के सामने कॉलम(4) में मद (ख) में उप-मद (xxx)के पश्चात “(xxxi) समता” अंतःस्थापित करें;
- (II) क्रम संख्या 18 के सामने-
- (क) कॉलम (5) में -
- (i) मद (क), (ख) और (ग) में “(क),(ख),(ग)” के स्थान पर क्रमशः “(क) और (ख)” पढ़ें;
- (ii) मद (घ) के पश्चात-
- “(ड.) व्यक्ति व्यक्ति जिन्हें कारोबार अथवा व्यवसाय के अलावा अन्य स्रोतों से आय प्राप्त होती है और वे कॉलम (4) की मद (ग) में उल्लिखित टैरीटोरियल क्षेत्रों में रहते हैं” अंतःस्थापित करें;
- (ख) कॉलम (6) में, मद (ख) के पश्चात,-
- “(ग) कॉलम (5) की तदनुसूची मद (ड.) में संदर्भित ऐसे व्यक्ति के सभी मामले जिनकी आय का मुख्य स्रोत “वेतन””;
- (III) क्रम संख्या 19 के सामने कॉलम (4) में मद (क) में “8 के स्थान पर 18 पढ़ें;
- (IV) क्रम संख्या 24 के सामने कॉलम (4) में मद (ख) में, उप मद “18.562122” के पश्चात “19.562106” अंतःस्थापित करें;
- (V) क्रम संख्या 26 के सामने कॉलम (4) में मद (ख) में, उप मद “46.562163” के पश्चात “41.562123” अंतःस्थापित करें;

[अधिसूचना सं. 79 /2015 फा.सं. 187/38/2014-आ.क.नि.-I]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के समीप),
नई दिल्ली-110064